न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 113/2025
जीसीएमएस सं. 2025/310

अपीलांट्सः–

01. धन्नाराम पुत्र श्री जोराराम
02. गोपाराम पुत्र श्री शेराराम
03. जेठाराम पुत्र श्री जोराराम
04. पप्पी पत्नी श्री लूणाराम
05. स्व० भूराराम पुत्र स्व० शेराराम के वारिसानः–
    5/01 भोमाराम पुत्र स्व० श्री भूराराम
    5/02 सांवलराम पुत्र स्व० श्री भूराराम
    5/03 पोकरराम पुत्र स्व० भूराराम
    5/04. सुमेरराम पुत्र स्व० भूराराम
06. पेमाराम पुत्र करणाराम
07. परसराम पुत्र करणाराम
08. श्रवणराम पुत्र श्री लूणाराम
09. सुरेश पुत्र श्री लूणाराम

जातियान जाट, निवासीगण ग्राम नाहरों की ढ़ाणी, तहसील व जिला जोधपुर

10. सुखाराम पुत्र श्री जोराराम
11. स्व० भींयाराम पुत्र श्री शेराराम के वारिसानः–
    11/01. अमकी पत्नी भींयाराम
    11/02 गणपतलाल पुत्र स्व० भींयाराम, जाति जाट निवासी ग्राम नाहरों की ढ़ाणी, तहसील व जिला जोधपुर
    11/03 इन्द्रा पुत्री स्व. भींयाराम पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी ग्राम लोरडी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।
    11/04 भूण्डी पुत्री स्व. भींयाराम पत्नी जयराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरू तहसील व जिला जोधपुर।
    11/05 मैना पुत्री स्व० भींयाराम पत्नी श्रवण जी राड़, जाति जाट, निवासी ग्राम भाण्डू, तहसील झंवर, जिला जोधपुर
    11/06 लीला पुत्री स्व० भींयाराम पत्नी श्री ओमारामंजी पिण्डेल, जाति जाट, निवासी ग्राम लोरडी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर ।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः –

01. कुम्भाराम पुत्र श्री हराराम
02. ओमाराम पुत्र श्री खरताराम
03. चेनाराम पुत्र श्री खरताराम
04. भीखाराम पुत्र श्री खरताराम
05. लादू पत्नी श्री खरताराम
06. चुन्नीदेवी पत्नी श्री भीखाराम
07. पिंकू सारण पत्नी श्री मुकेश चौधरी
08. मीरा पत्नी श्री कुम्भाराम
09. लीला पत्नी श्री मनीष चौधरी
10. वरजू पत्नी श्री चैनाराम

सभी जातियान जाट, निवासीगण नाहरों की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नामान्तरकरण संख्या 1 जो कि दिनांक 09.09.2021 को दर्ज किया जाकर उप तहसीलदार झंवर द्वारा विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2021 को ग्राम खेजड़ानाडा पटवार हल्का जानादेसर के खसरा संख्या 290,291, 292 के सम्बन्ध मे स्वीकार किया गया

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह भाटी (प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 10 तक की ओर से)

निर्णय **दिनांक 27.04.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत, नायब तहसीलदार, झंवर द्वारा खेजडानाडा के नामांतरकरण सं. 01 दिनांक 09.09.2021 पर पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2024 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 10 तक की ओर से श्री ईश्वर सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थीगण की संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम खेजडानाडा पटवार हल्का जानादेसर, तहसील झंवर के ख.नं. 289, 290, 291, 292 की आई हुई है। प्रत्यर्थी खरताराम, कुंभाराम पिता हराराम ने दिनांक 05.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार, झंवर को पेश कर कथन किया कि उनकी ग्राम निंबली (झंवर) के खसरा सं. 37 खाता सं. 73 (पुराना 66) की भूमि में 1/3 हिस्सा है, लेकिन नई जमाबंदी में ऑनलाईन में उनका 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया है, जबकि 1/3 हिस्सा होना चाहिए। अतः रेकॉर्ड में हिस्सा का शुद्धिकरण किया जावे। उप तहसीलदार ने पत्रांक भू.अ./2021/426 दिनांक 05.08.2021 से मूल प्रार्थना पत्र पटवारी झंवर को जांच हेतु अग्रेषित किया। पटवारी ने पुराने रिकॉर्ड से जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कुंभाराम, खरताराम पिता हराराम का 1/3 हिस्सा था, परंतु ऑनलाईन जमाबंदी लॉक करते समय त्रुटि से हिस्सा 1/6 हो गया है। जो शुद्धि करने योग्य है। पटवारी की उक्त जाचं रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार झंवर ने पत्रांक भू.अ./2021/482 दिनांक 12.08.2021 से जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पटवारी झंवर को निर्देश दिये। परंतु पटवारी ने उक्त आदेश 482 दिनांक 12.08.2021 के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 01 दिनांक 09.09.2021 ग्राम खेजडानाडा का खाता सं. 16, खसरा सं. 290, 291 एवं 292 में हिस्सा शुद्धिकरण का दर्ज कर दिया तथा उसे उप तहसीलदार, झंवर ने दिनांक 01.10.2021 से पारित कर दिया, जिससे अपीलांट के हिस्सो को कम कर दिया तथा प्रत्यर्थीगण के हिस्सों को बढा दिया गया है, जो गैर कानूनी है तथा बिना किसी आदेश के है। आदेश दिनांक 12.08.2021 अन्य ग्राम निंबली के ख.नं. 37 खाता सं. 73 में हिस्सा संशोधित करने का था, परंतु संशोधन से ग्राम खेजडानाडा के ख.नं. 290, 291, 292 की भूमि के हिस्सों में हेराफेरी कर दी गई है। अतः नामांतरकरण सं. 1 दिनांक 09.09.2021 पर पारित आदेश को अपास्त किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों अनुसार आदेश पारित करने का कथन किया।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उप तहसीलदार के आदेश से ही नामांतरकरण सं. 1 दिनांक 09.09.2021 दर्ज हुआ है तथा उसी अनुसार ख.नं. 290, 291 एवं 292 की आराजी में हिस्सा दर्ज किये है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे। आक्षेपित आदेश शुद्धिकरण की श्रेणी में आता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस में प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रत्यर्थी 2 से 5 तक के पिता/पति खरताराम व कुंभाराम ने दिनांक 05.08.2021 को ग्राम निंबली के ख.नं. 37 की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होना बताया तथा नई जमाबंदी में 1/6 गलत दर्ज होना कथित किया, जिसकी पटवारी झंवर ने जांच रिपोर्ट में पुष्टि की है तथा रिकॉर्ड शुद्धि योग्य बताया।

पटवारी झंवर की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार, झंवर ने पत्रांक भू.अ. /2021/482 दिनांक 12.08.2021 से जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये है, परंतु पटवारी ने ग्राम निंबली के खाता सं. 73 खसरा सं. 37 में हिस्सा संशोधन की जगह अन्य ग्राम खेजडानाडा के खाता सं. 16 के ख.नं. 290, 291, 292 की भूमि में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 01 दिनांक 09.09.2021 दर्ज कर दिया, जिसे उप तहसीलदार, झंवर ने दिनांक 01.10.2021 को स्वीकार भी कर लिया, जो अभिलेख के विपरीत (Perverse) होने से इन्द्राज खारिज योग्य है।

9. पत्रावली पर एक अन्य प्रार्थना पत्र की प्रति भी उपलब्ध है, जो खरताराम व कुंभाराम ने दिनांक 17.08.2021 को उप तहसीलदार, झंवर को पेश कर, ग्राम खेजडानाडा के ख.नं. 290, 291 व 292 में उनका हिस्सा 1/3 दर्ज करने की जगह पर 1/10 करना बताया है तथा ख.नं. 289 में 2/3 हिस्सा की जगह 1/16 दर्ज होना बताया है। इस प्रार्थना पत्र की भी पत्रांक 520 दिनांक 18.08.2021 से पटवारी झंवर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी ने जांच रिपोर्ट में ख.नं. 289 में प्रार्थी खरताराम व कुंभाराम का 2/3 हिस्सा होना बताया तथा ख.नं. 290, 291, 292 में 1/3 हिस्सा शुद्ध करना उचित बताया है। जिस पर उप तहसीलदार ने पत्रांक 589 दिनांक 14.09.2021 से जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है, परंतु उक्त आदेश की पालना की जगह अन्य आदेश क्रमांक 482 दिनांक 12.08.2021 (जो ग्राम निंबली के ख.नं. 37 से संबंधित था) के आधार पर अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थीगण के वास्तविक हिस्सों के स्थान पर गलत हिस्से रिकॉर्ड में दर्ज कर दिये है, जो पक्षकारों के हितो, अधिकारों, स्वत्वों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

10. इसी प्रकार अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित कथन सद्भाविक एवं पर्याप्त होने से, यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश

11. परिणामतः उपर्युक्तानुसार अभिलेखीय, तथ्यात्मक विश्लेषणानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा खेजडानाडा के नामांतरकरण सं. 1 दिनांक 09.09.2021 पर उप तहसीलदार झवंर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 01.10.2021 को अपास्त किया जाता है।
12. तहसीलदार, झवंर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेजडानाडा के ख.नं. 289, 290, 291 एवं 292 तथा ग्राम निंबली के ख.नं. 37 की आराजी बाबत समस्त भू अभिलेख के आधार पर जांच करके, पक्षकारों के हिस्सों का, अभिलेख में सही इन्द्राज करके अभिलेख शुद्ध करे। उक्त कार्य 7 दिवस में संपादित करे। शुद्धिकरण का कार्य उपलब्ध अभिलेखों को आधार पर कार्यालय स्तर से किया जाना है।
13. निर्णय की प्रति के साथ मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2021 एवं 17.08.2021 तहसीलदार झंवर को लौटाया जावे।
14. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।